-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 29.03.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप थाना मरका क्षेत्र में वर्ष-2012 में व्यक्ति को जाने से मारने की नियत से देशी रायफल व अवैध तमंचे से फायर कर घायल करने वाले दो सगे भाइयों को दिलाई गई 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 12 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **“ऑपरेशन कन्विक्शन”** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2012 में थाना मरका क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पिंडारन में व्यक्ति को जान से मारने की नियत से देशी रायफल व अवैध तमंचे से फायर कर घायल करने वाले दो सगे भाइयो को सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 01.02.2012 को थाना मरका क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पिण्डारन के रहने वाले बिन्दा मिश्रा व मंगल मिश्रा पुत्रगण सूरजबली मिश्रा द्वारा गांव के ही में सीताराम पुत्र गौकरन को गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से देशी रायफल व अवैध तमंचे से फायर कर घायल कर दिया था। जिसके संबंध में सीताराम उपरोक्त के पिता गौकरन की तहरीर पर थाना मरका में मु0अ0सं0 23/12 धारा 307/34/504 भादवि पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री अब्दुल जब्बार द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद कर थाना मरका पर मु0अ0सं0 24/12 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक श्री सुशील तिवारी द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी शिप्रा सचान तथा पैरोकार आरक्षी पुरुषोत्तम के अथक प्रयासों से दोनों अभियुक्तों को मा0 न्यायालय बांदा द्वारा 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। तथा मु0अ0सं0 24/12 में भी अभियुक्त बिन्दा मिश्रा को 02 वर्ष के कारावास व 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. बिन्दा मिश्रा पुत्र सूरजबली मिश्रा निवासी पिंडारन थाना मरका जनपद बांदा।
2. मंगल मिश्रा पुत्र सूरजबली मिश्रा निवासी पिंडारन थाना मरका जनपद बांदा।

अभियोजक
श्री सुशील तिवारी

विवेचक
उ0नि0 श्री अब्दुल जब्बार

कोर्ट मोहर्रिर
म0आ0 शिप्रा सचान

पैरोकार
आ0 पुरुषोत्तम